

B.A Part II Political Science (Hons) Paper III. v.

Topic :-

मत व्यवहार voting behaviour

लोकतंत्र में जानकारी नागरिक का होना आवश्यक है वर्तमान उदारवादी परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र सर्वाधिक वैधता प्राप्त करने वाली शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जा चुका है लोकतंत्र की वास्तविक शक्त और सार्वभौमता नागरिकों की सहभागिता और सचेतता पर निर्भर है। एक मतदाता के रूप में नागरिक राजनीतिक सहभागिता उसके राजनीतिक सचेतता के स्तर के अनुरूप होती है क्योंकि मतदाता एक राजनीतिक प्राणी है राजनीतिक सहभागिता निभाते समय वह विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है यह कारक न केवल मतदाता को अभिप्रेरित करता है बल्कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चलायमान भी बनाते हैं ऐसे में इन कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है voters ऐसे ही विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर अपना राजनीतिक व्यवहार निर्धारित करता है तो मतदाता के इस व्यवहार के मतदान व्यवहार कहा जाता है।

मत व्यवहार को समझने के लिए इस्का अर्थ जानना आवश्यक है - voting behaviour का आशय यह है कि मतदाता अपने मतदाधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है मतदान - व्यवहार में सर्वप्रथम तो यह अध्ययन किया जाता है कि कौन कौन से तत्व व्यक्ति को मतदाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन-2 से तत्व उसे इस सम्बन्ध में निरस्तसाहित करते हैं द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मतदाधिकार का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी।

प्रत्येक प्रजातांत्रिक राज्य में व्यक्तियों को चुनावों में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है वे बिना किसी जाति धर्म, रंग, लिंग के भेदभाव के इस अधिकार का प्रयोग करते हैं इस वोट डालने की प्रक्रिया को ही मतदान व्यवहार कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिक एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ये प्रतिनिधि नागरिकों की

की भावना के अनुसार देना : 2:

पुनः का अधिकार नागरिकों का मतान्तर कहलाता है।

सामाजिक मतदान व्यवस्था का अर्थ यह माना जाता है कि मतदाता मतान्तर का प्रयोग करते समय किन मतदानों से प्रेरित होता है एवं मतदान करते समय उसके मस्तिष्क में किन-किन बातों का प्रभाव उत्पन्न होता है। कतिपय विचारकों ने मतदान व्यवस्था के राजनीति में भाग लेने का माध्यम माना है। इसी को अधिकार के आधार मानते हुए उनके विचारों को निम्नलिखित परिभाषाओं के रूप में बताया गया है-
पॉल. एच. एपल. बी. के अनुसार मतदान व्यवस्था व्यक्तियों का सरकार से सीधा संबंध है।

कार्ल. जे. फ्रैंज़ के अनुसार यह प्रजातांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करने की प्रक्रिया में एक समस्या है। अर्थात् मतदान करते समय व्यक्तित्व सरकार को कार्य करने के लिए वैधता प्रदान करता है। गोविन्द ए. आगड के अनुसार यह राजनीतिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट राजनीतिक अनुज्ञापन है, जैसे नेतृत्व, नीतियाँ एवं उद्देश्य इत्यादि। यह एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक संस्कृति जैसे संक्रमण-कालीन में निर्दिष्ट भूमिका को प्रदर्शित करता है।

पुनः एवं निर्वाचकीय प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है- मतदान व्यवस्था। डोनाल्ड ई. स्लोक के अनुसार मतदान व्यक्तित्वगत प्राथमिकताओं को सामूहिक निर्णयों में समाहित करने का एक साधन है। जनतंत्र में सत्ता निर्वाचित होती है। मतदाता व्यक्तियों और दलों का पुनः करता है। अपनी सोच के आधार पर यह तय करता है कि किन विचारधाराओं के लोग था दल उसके मविषय को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर जनतंत्र में मतदाता का सामूहिक निवेक अपने विकास की दिशा निर्धारित करता है।

Factors influencing voting behaviour :-

मतदान व्यवस्था के निम्न तत्व हैं जैसे- सर्वप्रथम मतदान में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात जनसंख्यात्मक लक्षणों और सामाजिक-आर्थिक पद के अनुसार बदलता रहता है मतदान में भाग लेने की प्रवृत्ति स्त्रियों में पुरुषों से अधिक, निरक्षरों में साक्षरों से अधिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्नत वर्गों की तुलना में अधिक होती है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति उनमें भी

होती है जिन्हें राजनीतिक सूचना कम प्राप्त है अतः जिनपर संचार के साधनों और अन्य दवावों का प्रभाव कम है मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति सामान्यता निम्न तत्वों से प्रेरणा लेते हैं-

:3:

1 **जातिवाद**:- जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व रहा है वैसे तो इस तत्व का प्रभाव भारतीय संघ के सभी राज्यों में है, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और केरल में इस प्रभाव का असर अधिक दिखता है भारतीय मतदाता जातिवाद में इतना मतवाले हो कर मतदान व्यवहार पर असर डालते हैं कि चुनाव से पहले ही अपनी जाति का मुख्य मंत्री या मुख्य पद तय कर लेते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक तत्व यह है कि यदि चुनाव के अन्तर्गत कभी-2 कोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न या विशेष समस्या सामने हो तो फिर जाति के तत्व का प्रभाव बहुत कम हो जाता है For example - 1971, 1977 का लोकसभा चुनाव।

2. **क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति**:- भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद का प्रभाव भी प्रबल है। पंजाब में अकाली दल, तमिल नाडु में DMK, ADMK की सफलता यही क्षेत्रवादी प्रवृत्ति को बढावा देती है पुरुबंगाल और केरल आदि राज्यों में कुछ क्षेत्रीय दलों की सफलता का कारण यही है।

3- **धर्म**:- धर्म हम भारतीयों के धर्मनिरपेक्षता के साथ प्रभावित होता रहता है देश की राजनीति में धर्म की जड़े बहुत गहरी हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचन में जनप्रतिनिधि धर्मों के ही अनुपात में प्राप्त हो वैसे तो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है यहाँ किसी भी धर्म को राजधर्म स्वीकार नहीं किया गया है निर्वाचन में जहाँ प्रत्याषि केवल हिन्दू ही होते हैं वहाँ कि मुसलमान जनता अपनी रुचि के हिन्दू को मत देती है इसी प्रकार जिन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याषि केवल मुसलमान होते हैं वहाँ कि हिन्दू जनता अपनी रुचि के मुसलमान प्रतिनिधि को मतदान करती है

भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में धर्म और सम्प्रदाय की दलीलों के आधार पर वोट मांगते हैं। VOTE मांगने के लिए मुठाधारों, मुल्लाओं, पादरियों, और साधुओं के साथ साँठ-गौंठ की जाती है मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व धाये रहते हैं सही मायनों में कहा जा सकता है 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव

:4:

मे इसका असर मतदान व्यवहार में अधिक देखने को मिला है।

4. भाषा - व्र तन्व भी भारत में मतदान- व्यवहार को प्रभावित करता रहा है क्षेत्रवाद और भाषा के सवालों में भारतीय राजनीति के इतने ज्वलंत प्रश्न रहे हैं और भारत के हाल की राजनीतिक इतिहास की घटनाओं के साथ इन्का इतना गहरा संबंध रहा है कि अक्सर ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय एकता की सम्पूर्ण समरथा है 1967 और 1971 ई० के चुनावों में D.M.K ने हिन्दी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया साथ ही 1977 ई० के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का एक बड़ा कारण यह रहा कि दक्षिण भारत में व्यक्ति अब तक जनता पार्टी की भाषा-नीति के सम्बन्ध में पूर्णतया आश्वस्त नहीं थे।

5. दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति - भारतीय मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं, लेकिन कुछ सिमा तक दलों की विचार धारा, कार्यक्रम और नीति से भी प्रभावित होते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा निषेधान्मक विचारधारा और कार्यक्रम के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रम को पसन्द किया जाता है।

6. राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा - भारतीय मतदाता को यह तन्व भी काफी प्रभावित करता है मतदान व्यवहार में।

7. आर्थिक स्थिति - व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी मतदान- व्यवहार को प्रभावित करती है ऐसा देखा जाता है कि यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मतदाता बालक दल के पक्ष में मतदान करते हैं अन्यथा शासक दल के विरुद्ध।

मतदान- व्यवहार के अध्ययन में कीठनाईयाँ - मतदान मनोवैज्ञानिक तन्वों से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है, जो अनेक आन्तरिक और बाहरी तन्वों से प्रभावित होती है स्वभाविक रूप से, मतदान- व्यवहार के अध्ययन में अनेक कीठनाईयाँ आती हैं जैसे- एक क्षेत्र का मतदान- व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान- व्यवहार से भिन्न होता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में केवल कुछ निश्चित बीषकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के मतदान- व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता अतः यह कीठनाई आती है कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए और किन बीषकों के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाए। सबसे प्रमुख कीठनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है वे सही उत्तर नहीं दे पाते जबकि वे सही उत्तर देने की क्षमता रखते हैं जान बूझ कर वे ऐसा करते हैं उन्हें डर रहता है साक्षात्कार करने वाला या तो किसी पार्टी विशेषका है या बालक का।